न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 36/2016 (कम्प्यूटर नं. 2016/00101)

प्रार्थी

1. अमराराम पुत्र रामदीन उम्र 65 वर्ष
2. भागचन्द पुत्र रामदीन उम्र 60 वर्ष
3. उगमाराम पुत्र टीकूराम उम्र 45 वर्ष
4. बाबूलाल पुत्र श्रवणराम उम्र 35 वर्ष
5. प्रकाश पुत्र गीगाराम उम्र 36 वर्ष

निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. बद्री पुत्र श्रवणराम जाति बावरी
2. गणपतराम पुत्र टीकूराम जाति बावरी
3. सुरेश पुत्र टीकूराम जाति बावरी
4. राजूराम पुत्र टीकूराम जाति बावरी
5. कंवरलाल पुत्र टीकूराम जाति बावरी
6. छोटूड़ी पत्नि टीकूराम जाति बावरी
7. सम्पत पुत्र गीगाराम जाति बावरी
8. रामनिवास पुत्र गीगाराम जाति बावरी
9. भरतलाल पुत्र गीगाराम जाति बावरी
10. इन्द्रचन्द पुत्र रामदेव जाति कुमावत
11. प्रेमाराम पुत्र रामदेव जाति कुमावत
12. किशन गोपाल पुत्र रामदेव जाति कुमावत
13. अर्जन पुत्र रामेदव जाति कुमावत
14. धर्माराम पुत्र प्रभूराम जाति कुमावत निवासीगण मण्डावरा तह. कुचामनसिटी
15. उप पंजीयक कुचामनसिटी
16. पटवारी हल्का पटवार मण्डल मण्डावरा
17. राजस्थान जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) तह. कुचमानसिटी

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री विजयसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 2 3 5 7 8 9 की ओर से।
श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 10 से 12 की ओर से।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:02:47 IST
Reason: SelfAttested

दिनॉक :– 30.8.19

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम मण्डावरा के ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 89 [illegible] 0.3725 हैक्टर, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 से 9 की शामलाती सह खातेदारी की भूमि आई हुई है जिसका विधिवत भू–विभाजन नही हो रखा है जबकि मौके पर प्रार्थीगण ही काबिज चले आ रहे है, उपरोक्त भूमि मे से अपने–अपने हक हिस्से की भूमि का बाई

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मीट्स एण्ड बाउण्डस भू–विभाजन कराकर सेपरेट होल्डिंग दर्ज कराना चाहते है, प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा इसके फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 10 ता 14 नाजायज जबरदस्ती करने पर उतारू हो रहे है एवं उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रखे है जबकि उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर इनका कोई हक हिस्सा नही है। उपरोक्त भूमि जो कि प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे काश्त की चली आ रही है जिसमे अप्रार्थी संख्या 10 ता 14 जबरन कब्जा करके निर्माण करने पर उतारू है जबकि ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण के साथ कुठाराघात होगा एवं अपूर्तनीय क्षति होगी जो कि रूपयो पैसों से भी पूर्ति नही होगीं, अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ंकर प्रार्थीगण की बर्बादी होगी इसलिए प्रार्थीगणो के हिता की सुरक्षार्थ यह प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ है, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम मण्डावरा की सरहद में स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 89 रकबा 0.3725 हैक्टर प्रार्थीगण की भूमि बिना विभाजन किये अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 बेचान नही करे एवं अप्रार्थी संख्या 10 से 14 किसी प्रकार का अतिक्रमण,अवैध कब्जा नही करे न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण इत्यादि करें एवं अप्रार्थी संख्या 15 अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 द्वारा बेचान करने पर स्वीकार नही करे व अप्रार्थी संख्या 17 मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें इस आशक की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश ता–फैसला वाद सादिर फरमावें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, की ओर से श्री विजयसिंह राठौडत्र अधिवक्ता उपस्थित आये जिन्होने कोई जवाब पेश नही करना चाहा, अप्रार्थी संख्या 10 ता 14 की ओर से श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता उपस्थित आये जिनको पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 4, 6, 15, 17 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 16 के विरूद्व प्रार्थी ने कोई अनुतोष नही चाहा है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2073–76 ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 202 रकबा 0.06 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.3725 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 0.4325 हैक्टर में 1. अमराराम पुत्र रामदीन हिस्सा 1/6 जाति [illegible] 2. उगमाराम पुत्र टीकूराम हिस्सा 1/24 जाति बावरी, 3.कं[illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा 1/24 जाति बावरी, 4. गणपतराम पुत्र टीकूराम हिस्सा 1/24 जाति [illegible], 5. छोटूड़ी पत्नि टीकूराम हिस्सा 1/24 जाति बावरी, 6. प्रकाश पुत्र गीगाराम हिस्सा 9/160 जाति बावरी, 7. बद्री पुत्र सरवण हिस्सा 1/12 जाति बावरी, 8.बाजूड़ी पत्नि गीगाराम हिस्सा 1/40 जाति बावरी, 9.बाबूलाल पुत्र सरवण हिस्सा 1/12 जाति बावरी,10. भरतलाल पुत्र गीगाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:02:47 IST
Reason: SelfAttested

.....3.....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हिस्सा 9/60 जाति बावरी, 11.भागचन्द पुत्र रामदीन हिस्सा 1/6 जाति बावरी, 12. *राजूराम पुत्र टीमूराम हिस्सा 1/4 जाति बावरी,* 13. रामनिवास पुत्र गीगाराम हिस्सा 9/60 जाति बावरी, 14. सम्पत पुत्र गीगाराम हिस्सा 9/60 जाति बावरी, 15. सुरेश पुत्र टीकूराम हिस्सा 1/24 जाति बावरी सा. देह खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी अधिवक्ता10 से 14 ने बताया है कि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा नही है मौके पर पूरे खसरा पर आबादी स्थित है इसलिए मौके की स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव नही लाया जा रहा है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र काल्पनिक मनगढ़ंत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसे खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी वकील ने बहस दौरान बताया है कि उपरोक्त भूमि अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि है जिसमें अप्रार्थी सं. 10 ता 14 अतिक्रमण करना चाहते है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 89 में अप्रार्थी संख्या 10 ता 14 पर कब्जे को लेकर कथन किये है, जबकि जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 10 से 12 सह खातेदारान नही है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 सह खातेदारान दर्ज है जिनके विरूद्व बेचान हस्तानान्त इत्यादि नही किये जाने का कथन किया है। अप्रार्थी संख्या 10 से 14 को खातेदार नही होने से पांबद नही किया जा सकता तथा मूल वाद के निर्णय होने तक अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 को बिना विभाजन के बेचान हस्तानान्तरण किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है, चूँकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जवाब देना भी उचित नही समझा है, अप्रार्थी संख्या 10 ता 14 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया है जिससे स्पष्ट है क़ि प्रकरण में उन्हे किसी भी प्रकार से रूचि नही है। प्रार्थना–पत्र में अंकित खसरान के अलावा अन्य खसरा नम्बर 202 भी उपरोक्त पक्षकारान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है जिसका अनुतोष नही चाहा गया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू ही प्रार्थीगण के पक्ष में उपरोक्त तथ्यो से साबित है। अप्रार्थीगण संख्या 10 से 14 किस प्रकार उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से में अतिक्रमण अवैध कब्जा व किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करेगे यह साबित करने में प्रार्थीगण असफल रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः अप्रार्थीगण 1 से 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ता–फैसला वाद पाबंद किया जाता है कि ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 89 रकबा 0.3725 हैक्टर का में बिना विधिवत विभाजन के बेचान नही [illegible] अप्रार्थी संख्या 15 बेचान स्वीकार नही करे, अप्रार्थी संख्या 17 मौके एवं [illegible] की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:02:47 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनॉक ....20/8/15.... को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS,)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)